न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 2/2023 दायर दिनांक 06.02.2023
जीसीएमएस नम्बर 2023/22 निर्णय दिनांक 04.06.2025

उनवान

1. श्रीमती मंजुला पत्नी राजेन्द्र लबाना, निवासी बिछीवाडा, जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
2. पटवारी पटवार हल्का बिछीवाडा, जिला डूँगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय तहसीलदार बिछीवाडा के प्रकरण संख्या 02/2023 निर्णय 13.02.2023

उपस्थित – 1. कृष्णराज सिंह , अधिवक्ता – अपीलाण्ट
2. पैराकार सरकार तहसीलदार बिछीवाडा – रेस्पोडेण्ट्स

–:निर्णयः– **दिनांक –04.06.2024**

1 .अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि राजस्व ग्राम बिछीवाडा के खसरा नम्बर 1401 कुल रकबा 0.10 है0 किस्म गें.मु. रास्ता में से 0.01 है0 भूमि पर अपीलार्थी द्वारा परकोटा एवम् मिट्टी का भराव कार्य किया गया है कार्यवाही की जावे, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर इनके द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया है अपीलार्थी द्वारा पटवार हल्का बिछीवाडा के पुराना खसरा नम्बर 1098 में से

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

रकबा 01 बिस्वा भूमि तुलसीलाल एवं नारायण लाल पिता रसीकलाल से दिनांक 24.07.2019 से जरिये पंजीकृत दस्तावेज के क्रय की गई है तथा क्रय की गई दिनांक से ही इस पर काबिज है उक्त भूमि जो अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई उसमें विक्रेतागण द्वारा कच्चा परकोटा किया हुआ भू खण्ड सुपुर्द किया था तथा पीछे स्थित कृषको के निवेदन पर अपीलार्थी द्वारा 5.5' X 90' फीट साढे पॉच फीट गुणा 90 फीट भूमि 490 वर्गफीट जमीन उन्हे रास्ते के लिये दी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि अपनी भूमि छोडी है। जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय की गई दिनांक से ही अपीलार्थी मौके पर काबिज है, अपीलार्थी जिस भूमि पर काबिज है वह खसरा संख्या 1401 की भूमि नही है खसरा संख्या 1401 की भूमि अलग भूमि है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्व आदेश पारित कर दिया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से पूर्ण जांच नही कर अपीलार्थी के विरूद्व आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के जवाब व पंजीकृत दस्तावेजो की अनदेखी कर कानूनी भूल की है। पटवारी रिपोर्ट मौके पर जांच कर पटवारी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है, जब अपीलार्थी द्वारा अपने पंजीकृत दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए तो विपक्षी का यह दायित्व था कि वह दोनो खसरा नम्बर कि मौके पर नपती करता तब वास्तव में निर्धारण हो पाता की अतिक्रमण है या नही उक्त तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय में गौर नही कर कानूनी गलती की है।

पटवारी रिपोर्ट में एक तरफ तो अतिक्रमण बताया जा रहा है वही आगे इसी रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि रास्ते में वर्तमान में आवागमन चालु है व रास्ता अवरूद्व नही है ऐसी स्थिति में भी इस रिपोर्ट का भी कोई मुल्य नही इसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय में आदेश पारित कर भारी भुल की है।

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा के प्रकरण संख्या 02 / 2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2023 को अपास्त किया जावे।

2. हमने उभयपक्ष कि बहस सुनी।

3. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा बिछीवाडा के खसरा नम्बर 1401 कुल रकबा 0.10 है0 किस्म गें.मु. रास्ता में से 0.01 है0 भूमि पर अपीलार्थी द्वारा परकोटा एवम् मिट्टी का भराव कार्य किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर इनके द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया है अपीलार्थी द्वारा पटवार हल्का बिछीवाडा के पुराना खसरा नम्बर 1098

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

में से रकबा 01 बिस्वा भूमि तुलसीलाल एवं नारायण लाल पिता रसिक लाल से दिनांक 24.07.2019 से जरिये पंजीकृत दस्तावेज के कय की गई है तथा कय की गई दिनांक से ही इस पर काबिज है। उक्त भूमि जो अपीलार्थी द्वारा कय की गई उसमें विक्रेतागण द्वारा कच्चा परकोटा किया हुआ भू खण्ड सुपुर्द किया था तथा पीछे स्थित कृषको के निवेदन पर अपीलार्थी द्वारा 5.5' X 90' फीट साढे पॉच फीट गुणा 90 फीट भूमि 490 वर्गफीट जमीन उन्हे रास्ते के लिये दी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नही किया गया है। जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख कय की गई दिनांक से ही अपीलार्थी मौके पर काबिज है, अपीलार्थी जिस भूमि पर काबिज है वह खसरा संख्या 1401 की भूमि नही है खसरा संख्या 1401 की भूमि अलग भूमि है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्व आदेश पारित कर दिया है।

बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से पूर्ण जांच नही कर अपीलार्थी के विरूद्व आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के जवाब व पंजीकृत दस्तावेजो की अनदेखी कर कानूनी भूल की है। पटवारी रिपोर्ट मौके पर जांच कर पटवारी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है, जब अपीलार्थी द्वारा अपने पंजीकृत दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए तो विपक्षी का यह दायित्व था कि वह दोनो खसरा नम्बर कि मौके पर नपती करता तब वास्तव में निर्धारण हो पाता की अतिक्रमण है या नही उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय में गौर नही कर कानूनी गलती की है।

पटवारी रिपोर्ट में एक तरफ तो अतिक्रमण बताया जा रहा है वही आगे इसी रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि रास्ते में वर्तमान में आवागमन चालू है व रास्ता अवरूद्व नही है ऐसी स्थिति में भी इस रिपोर्ट का भी कोई मूल्य नही हैं। इसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय में आदेश पारित कर भारी भूल की है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा के प्रकरण संख्या 02/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2023 को अपास्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट पैरोकार सरकार तहसीलदार साबला ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा बिछीवाडा के खसरा न. 1401 रकबा 0.10 है0 किस्म गै.मु0 रास्ते में से 0.01 है0 भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया हैं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा के निर्णय दिनांक 13.02.2023 द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई करते हुए पारित किया है। अतिक्रमी को सुनवाई का पुरा अवसर दिया गया हैं। अतः राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के दृष्टिगत नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

5. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड / दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। बिछीवाडा के खसरा न. 1401 रकबा 0.10 है0 किस्म गै.मु0 रास्ते में से 0.01 है0 भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया हैं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा के निर्णय दिनांक 13.02.2023 द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई करते हुए पारित किया है। अतिक्रमी को सुनवाई का पुरा अवसर दिया गया हैं। अतः राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के दृष्टिगत नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.02.2023 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर